भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5602

जिसका उत्तर मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

हाइब्रिड/विद्युत वाहनों का विनिर्माण

5602. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाइब्रिड/विद्युत वाहनों के विनिर्माण में सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पहल में तेजी लाने के लिए सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एस आई ए एम) को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर एस आई ए एम की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव समयबद्ध सीमा में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए परियोजना में तेजी लाने के लिए कोई निकाय स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत परियोजना को कार्यान्वित और इस परियोजना के संबंध में अनुसंधान और विकास आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] नाम की स्कीम तैयार की है। समग्र रूप से स्कीम वर्ष 2020 तक 6 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित है। स्कीम का पहला चरण 01.04.2015 से शुरू करके दो वर्ष की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। स्कीम में चार क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किया जाएगा अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं पर चार्ज करने संबंधी बुनियादी ढांचा।

(ख) और (ग): जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ): जी, हां। फेम इंडिया नाम की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड को नोडल एजेन्सी बनाया जाना निश्चित किया गया है। राज्य सरकारें भी स्कीम को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त नोडल एजेन्सी अभिज्ञात कर सकती हैं।

(ङ) और (च): स्कीम फेम-इंडिया 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ सुदृढ़ रूप से अनुकूल बनाई गई है। स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन (वित्तीय सहायता) केवल उन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिनका विनिर्माण भारत में किया गया हो। प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत, वांछित लक्ष्य विनिर्देशों को हासिल करने के लिए मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसके लिए प्रयास होगा कि सरकार-उद्योग-शैक्षणिक संगठनों के सहयोग को समन्वित किया जाए ताकि एक्सईवी बाजार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्षित उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास तथा व्यावसायीकरण की घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्यों में वृद्धि की जा सके।

****